

(T-6120/88)
Authenticated
X
(M.L. Fotedar) 6/29/88

New Delhi, the 2nd May, 1988.

Minister for Steel and Mines

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (1)

Government of India
Ministry of Steel & Mines
Department of Mines

.....

New Delhi, the 13th April, 1988.

NOTIFICATION

GSR ^{1449 (E)}..... In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1988.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 11 of the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in the heading, the brackets and figure "(1)" shall be omitted and the same shall be inserted after the words "prospecting licence".
3. In rule 12, of the said rules, in sub-rule (1A), for the words, letters, brackets and figure "clauses (b), (c) and (d) of sub-rule (2)", the words, letters, brackets and figure "clauses (d), (e), (f) and (g) of sub-rule (2)" shall be substituted.

4. In rule 14, in sub-rule (1), -
- (i) for clause (x), the following clause shall be substitutes, namely:-
 - (x) the licensee shall -
 - (a) take immediate measures for the planting in the same area or any other area selected by the Central or the State Government not less than twice the number of trees destroyed by reason of any prospecting operations ;
 - (b) look after them during subsistence of the licence after which these shall be handed over to the State Forest Department or any other authority as may be nominated by the Central or State Government ;
 - (c) restore, to the extent possible, other flora destroyed by prospecting operations."
 - (ii) in the first proviso appearing after clause (xii), for the words "shall not give its sanction unless," the words, brackets and figures "shall not give its sanction under clause (vii), unless-" shall be substituted;
 - (iii) for the second proviso appearing after clause (xii), the following shall be substituted, namely :-

"Provided further that no prospecting licence shall be transferred to any person who has not filed any up-to-date income-tax returns and paid the income-tax assessed on him and paid the income-tax on the basis of self-assessment as provided in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and except on payment to the State Government of a fee of five hundred rupees".

4. affidavit stating that he has filed an

5. In rule 22, sub-rule (3), clause (e), -
- (i) in sub-clause (i) for words "showing the extent of mineral body" substitute the words "showing the nature and extent of mineral body";
 - (ii) in sub-clause (ii) for the words "geology and lithology" substitute the words "geology and lithology of the area";
 - (iii) in sub-clause (iv) for the words "forest areas" substitute the words "limits of reserved and other forest areas";
 - (iv) after sub-clause (iv) the following shall be inserted, namely :-
"(iva) annual programme and plan for excavation from year to year for five years";
6. In rule 25, in sub-rule (1), after the words and figures "under rule 24", the word, figure and letter, "or 24A" shall be inserted.
7. In rule 26, -
- (i) in sub-rule (1), for the words "The State Government after giving an opportunity of being heard and may" the words, "The State Government may, after giving an opportunity of being heard and" shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-
"(2) An application for the grant or renewal of a mining lease made under rule 22 or rule 24A, as the case may be, shall not be refused by the State Government only on the ground that Form I or Form J, as the case may be, is not complete in all material particulars, or is not accompanied by the documents referred to in sub-clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of clause (i) of sub-rule (3) of rule 22".

8. In sub-rule (1) of rule 27, -

- (i) the words "and such conditions shall be incorporated in every mining lease" after the words "the following conditions" shall be omitted;
- (ii) in clause (c), after the words, "the Third Schedule", the words, "of the Act" shall be inserted;
- (iii) in clause (f), the words "unless the State Government for sufficient cause permits otherwise" shall be omitted;
- (iv) for clause(s), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(s) the lessee shall -
 - (i) take immediate measures for planting in the same area or any other area selected by the Central or State Government not less than twice the number of trees destroyed by reasons of any mining operations;
 - (ii) look after them during the subsistence of the lease after which these trees shall be handed over to the State Forest Department or any other authority nominated by the Central or State Govt.;
 - (iii) restore, to the extent possible, other flora destroyed by the mining operations."

9. In rule 27, -

- (i) in sub-rule (2), for the words "holding a certificate of approval and an income tax clearance certificate in form C from the Income-tax Officer concerned on payment of a fee of rupees one hundred", the words "who has filed an affidavit stating that he has filed an upto date income tax returns, paid the income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), on payment of a fee of five hundred rupees" shall be substituted;

(ii) in the second proviso to sub-rule (2), for the words "to hold a certificate of approval and income tax clearance certificate", the words "to meet with the requirement relating to income tax" shall be substituted.

10. In rule 42, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) No prospecting licence or mining lease shall be granted to any person unless he has filed an affidavit stating that he has -

(i) filed upto date income tax returns;

(ii) paid the income tax assessed on him; and

(iii) paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)";

(ii) in the Explanation to clause (ii) of sub-rule (2), for the words, brackets and figures "sub-section (2) of section /the words, brackets and figures "sub-section (1) of section 5 of the Act" shall be substituted.

5"

11. Rule 43 shall be omitted.

12. In rule 45, in clause (i), after the words, brackets and letters "clauses (b) to (l)", the words, brackets and letters "and (p) to (u)" shall be inserted.

13. In rule 46, in sub-rule (1), for the words "holds certificate of approval in Form A from the State Government and unless he produces an income tax clearance certificate in Form C from the Income Tax Officer concerned", the words "has filed an affidavit stating that he has filed an upto date income tax return,

paid the income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)" shall be substituted.

14. In rule 52, in sub-rule (1) and (2), for the words "six months or fine which may extend to one thousand rupees", the words "one year or fine which may extend to five thousand rupees" shall be substituted;

15. In rule 54, -

(i) in sub-rule (1), for the words and expressions "a treasury receipt showing that a fee of Rs.100/- has been paid into a Government Treasury or in any branch of the State Bank of India doing the treasury business to the credit of Central Government under the "Head of Account - 128 Mines and Minerals - Mines Department - Mineral Concession Fees and Royalties", the words and expressions "a Bank Draft for Five Hundred rupees on a nationalised Bank in the name of 'Pay and Accounts Officer, Department of Mines' payable at New Delhi or through a treasury challan for five hundred rupees under the Head of Account-0853-Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries-102 Mineral Concession Fees, Rents and Royalties" shall be substituted;

(ii) in the Explanation -

(a) after the words "dispose of an application" insert the words "for transfer of mining lease or" ;

(b) after the words "an order refusing the" the word "transfer" shall be inserted.

16. Rule 58 shall be omitted.

17. In rule 59, in sub-rule (1), -
- (i) in clause (e), after the words and figures "under rule 58", the words, figures and letter, "or under section 17A of the Act" shall be inserted;
 - (ii) in the second proviso after the words and figures "under rule 58", the words, figures and letter "or under section 17A of the Act" shall be inserted.
18. In rule 62, -
- (i) in sub-rule (1), the words "holder of a certificate of approval or the" shall be omitted;
 - (ii) in sub-rule (2), the words "certificate of approval, or" shall be omitted;
 - (iii) in the proviso to sub-rule (2), the words "the holder of the certificate of approval or" shall be omitted.
19. In rule 66A, in sub-rule (1), in clause (i), for the words "of such mines", the words "of such minerals" shall be substituted.
20. In rule 69, -
- (i) in item (iii) for the words "Arsinopyrite" substitute "Arsenopyrite", for the word "Pyrrhotite" substitute the word "Pyrrhotite", for the word "Pentalandite" substitute the word "Pentlandite";
 - (ii) in item (v) for the word "Topas" substitute the word "Topaz";
 - (iii) in item (vii) for the word "Flourite" substitute the word "Fluorite"; and
 - (iv) in item (xvi) for the words "Phosphatic Modules" substitute the words "Phosphatic Nodules".

21. In Schedule I, -
- (i) in clause (c) of the proviso to paragraph (2) of Part I of Form F, for the word, "tons", the word "tonnes" shall be substituted;
 - (ii) In Part IV of Form F, in paragraph (1), for the words "holding a Certificate of Approval and Income Tax Clearance Certificate on payment to to the State Government of a fee of rupees one hundred", the words "who has filed an affidavit stating that he has filed upto date income tax returns, paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), on payment of a fee of five hundred rupees" shall be substituted;
 - (iii) in Form H, item number 6 shall be omitted;
 - (iv) in paragraph 3 of Form I, in clause (iii), for the letter and brackets "(f)", the letter and brackets "(e)" shall be substituted;
 - (v) in Form J, -
 - (a) for the words, figures and brackets "See rule 28(1)", the words, figures and letter "See rule 24A" shall be substituted;
 - (b) in paragraph 2, in item number (xC)
 - (i) in sub-clause (a), for the words "for the period of the lease" substitute the words "for the first five years of the lease";
 - (ii) in sub-clause (c) after the words "from year to year" add the words "for five years"
 - (c) in paragraph 2, after item number (xC), the following item shall be inserted, namely :-
"(xD) Is the mineral going to be used in his own industry? If so, give full details";

(for "own industry" see Explanation under rule 24B)

(vi) In Form K, -

(A) in Part VII, -

(i) in paragraph 3, the words "Unless the State Government for good cause permits otherwise" shall be omitted and the first letter of the word "the" appearing immediately thereafter shall be substituted by the capital letter;

(ii) After paragraph 11D, the following paragraph shall be inserted namely:-
" 11E - The lessee shall, in the matter of employment, give preference to the tribals and to the persons who become displaced because of the taking up of mining operations."

(iii) in paragraph 17(2), -

(a) for the words "holding a certificate of approval and income tax clearance certificate from the Income Tax Officer concerned, on payment of a fee of rupees one hundred", the words "who has filed an affidavit stating that he has filed upto date income tax returns, paid income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), on payment of five hundred rupees" shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the words "hold the said certificate of approval and the said income tax clearance certificate", the words "meet with the requirement relating to income tax" shall be substituted;

(B) in paragraph 3 of part VIII for the words "for one period", the words "for two periods each" and for the word and figure "rule 28", the word and figure "rule 24A" shall be substituted;

(vii) in Form M, item number 7 shall be omitted.

(viii) in Form N,-

(a) for item number 4, the following item shall be substituted, namely :-

"4. In the case of deemed rejection, the date of receipt of the application by the State Government" ;

(b) after item number 4, the following item shall be inserted, namely :-

"4A. (i) Is the revision application in respect of an order on application for prospecting licence or mining lease ?

(ii) Date of such application;

(iii) Is the application for grant or renewal ?

(iv) If for renewal, the number and date of letter of the State Government conveying the grant and the date upto which the licence/lease was granted ;

(v) In the case of second or subsequent renewal, the number and date of letter of earlier grant(s) and

the date(s) upto which the grant(s) have been made." ;

(c) in item number 7, for the words "treasury receipt", the words "treasury receipt or bank draft" shall be substituted ;

(d) in item number 8, for ^{the} words, "two months", the words "three months" shall be substituted.

(ix) in paragraph 3 of Form O, for item number (vi), the following item shall be substituted, namely :

"(vi) The transferee further declares that he has filed an affidavit stating that he has filed upto date income tax returns, paid the income tax assessed on him and paid the income tax on the basis of self-assessment as provided in the Income Tax Act, 1961, (43 of 1961)".

(Surendra Mishra)

Joint Secretary.

F. No. 7(2)/87-M.VI

Foot-Note:- A list of notifications wherein the principal rule was amended earlier ^e is enclosed.

To :

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, Near Rajouri Garden,
New Delhi.

THE LIST

1. Notification No. 1/34/71-M-6 dt.21.5.73.
2. Notification No. M.II-152(37)/62 dt.22.7.63.
3. Notification No. 1(34)/68-M.II dt.23.5.70.
4. Notification No. 1(26)/71-M.VI dt. 14.2.72.
5. Notification No. 1(2)/68-M.II dt.23.2.68.
6. Notification No. 1(3)/68-M.II dt.30.3.68.
7. Notification No. M.II-169(44)/61 dt. 7.9.61.
8. Notification No. 1(22)/62-M.II dt. 18.7.63.
9. Notification No. 1(74)/75-M.VI dt. 2.5.79.
10. Notification No. 1(3)/68-M.VI dt. 17.1.69.
11. Notification No. 1(33)/67-M.VI (Vol.II) dt. 22.7.71.
12. Notification No. M.II-169(44)/61 dt. 6.9.63.
13. Notification No. 1(3)/71-M.VI dt. 6.9.71.
14. Notification No. 1(51)/65-M.II dt. 26.2.69.
15. Notification No. M.II-152(11)/62 dt. 6.5.63.
16. Notification No. 3(51)/74-M.VI dt. 16.1.80.
17. Notification No. M.II-152(58)/61 dt. 30.4.63.
18. Notification No. M.II-152(33)/60 dt. 24.9.63.
19. Notification No. 1(26)/66-M.VI dt. 4.3.67.
20. Notification No. 7(4)/85-M.VI dt. 22.9.86.
21. Notification No. 7(1)/86-M.VI dt. 10.2.87.
22. Notification No. 18(9)/86-M.VI dt. 14.10.87.
23. Notification No. 6(3)/87-M.VI dt. 21.12.87.

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई, 1988

X
माखन लाल फोतेदार
इस्पात और खान मंत्री

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड 1 में प्रकाशित

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

नई दिल्ली, तारीख 13 अप्रैल, 1988

अधिसूचना

सा०का०नि० 449(ई) केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज
विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 का 67 को
धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज
रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत
संशोधन नियम, 1988 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. खनिज रियायत नियम, 1960 के जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त नियम कहा गया है नियम 12 के उपनियम 1क में,
उपनियम 2 के खंड ख, खंड ग और खंड घ शब्द, अक्षर,
कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपनियम 2 के खंड घ, खंड
ड, खंड च और खंड छ" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक
रखे जाएँगे।

* हिन्दी पाठ में यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

4. नियम 14 के उपनियम १।१ में, -

१।१ छण्ड १x१ के स्थान पर निम्नलिखित छण्ड रखा जाएगा,

अर्थात् :-

१x१ अनुज्ञापितधारो, -

१.१ उसी क्षेत्र में अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चुने गए किसी क्षेत्र में, किसी पूर्वक्षण सक्रियता के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दो गुने से अन्यून वृक्षों के रोपण के लिए तुरन्त उपाय करेगा ;

१.१ अनुज्ञापित के अस्तित्व में रहने के दौरान उनकी देख-भाल करेगा उसके पश्चात् वन वृक्षों को राज्य वन विभाग या किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाए ;

१.१ पूर्वक्षण सक्रियताओं द्वारा नष्ट हुए अन्य पेड़-पौधों का उस विस्तार तक जो सम्भव हो, पुनः स्थापन करेगा । ;

१।१.१ छण्ड १x१.१ के पश्चात् आने वाले पहले परन्तुक के प्रारम्भिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात् :-

"परन्तु राज्य सरकार छण्ड १।१.१ के अधीन अपनी मंजूरी तभी देगी जब -" ;

§111§ के पश्चात् आने वाले दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जाएगी जिसने यह कथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल नहीं किया है कि उसने अद्यतन आयकर विवरणियाँ फाइल कर दी हैं तथा उस पर निर्धारित आयकर का संदाय कर दिया है और आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 § में उपबद्ध रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आयकर का संदाय कर दिया है और ऐसा तभी किया जाएगा जब राज्य सरकार को पांच सौ रुपए की फीस का संदाय कर दिया जाता है ।"

5. नियम 22 के उपनियम §3 § के छण्ड §ड. § में, -

§1 § उपखंड §1 § में "छनिज निकाय का विस्तार" शब्दों के स्थान पर "छनिज निकाय की प्रकृति और विस्तार" शब्द रखे जाएंगे ;

§11 § खंड §11 § में, "भूविज्ञान और आशिकी" शब्दों के स्थान पर "उस क्षेत्र के भूविज्ञान और आशिकी" शब्द रखे जाएंगे ;

§111 § उपखंड §1V § में, "वन क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "आरक्षित और अन्य वन क्षेत्र की सीमा" शब्द रखे जाएंगे ;

§1V § उपखंड §1V § के पश्चात् निम्नलिखित अंतः

स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"§1V क § पांच वर्ष के लिए वषानुवर्ष उत्खनन का वार्षिक कार्यक्रम और रेखांक ।" ;

6. नियम 25 के उपनियम §1§ में, "नियम 24" शब्द और अंकों के पश्चात् "या नियम 24क" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

7. नियम 26 में, -

§1§ *-

§1§ उपनियम §2§ के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"§2§ यथास्थिति, नियम 22 या नियम 24क के अधीन किसी जनपद के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा केवल इस आधार पर नामजूर नहीं किया जाएगा कि, यथास्थिति, प्ररूप झ या प्ररूप ^अ सभी तात्त्विक विशिष्टियों में पूर्ण नहीं है या उसके साथ नियम 22 के उपनियम 3 के खंड §1§ के उपखंड §घ§, उपखंड §द. §, उपखंड §च§ के, उपखंड §छ§ और उपखंड §झ§ में निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं है ।"

* हिन्दो पाठ में यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

8. नियम 27 के उपनियम १।१ में, -

१।१ "और ऐसी शर्तों प्रत्येक छान पट्टे में समाविष्ट की जाएगी,"
शब्दों का लोप किया जाएगा ;

१।१।१ खंड १ग में, "तीसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर
"अधिनियम की तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ;

१।१।१।१ खंड १च में, "जब तक कि राज्य सरकार पर्याप्त कारणों
से अन्यथा अनुज्ञा न दे" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

१।१।१।१।१ खण्ड १ध के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

अर्थात् :- पट्टेदार -

१।१।१।१।१।१ उसी क्षेत्र में अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य
सरकार द्वारा चुने गए किसी क्षेत्र में, किसी पूर्वक्षण
सक्रिया के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के दो
गुने से अन्यून वृक्षों के रोपण के लिए तुरन्त उपाय
करेगा ;

१।१।१।१।१।१ पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान उनकी देख-भाल
करेगा उसके पश्चात् इन वृक्षों को राज्य वन विभाग
या किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा - क
जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित
किया जाए ;

१।१।१।१।१।१।१ पूर्वक्षण सक्रियाओं द्वारा नष्ट हुए अन्य पेड़-पौधों
का उस विस्तार तक जो सम्भव हो, पुनः स्थापन
करेगा, ।"

9. नियम 37 में, -

१।१।१।१।१।१।१ उप नियम १२ में, "जो अनुमोदन प्रमाण-पत्र और संबद्ध
आय-कर अधिकारी से मिला प्ररूप "ग" में आयकर
समाप्तोद्धत प्रमाण-पत्र धारण करता है, राज्य सरकार को

"सौ रूपए" शब्दों के स्थान पर "जिस ने यह कथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आय कर विवरणियाँ फाइल कर दी हैं, उस पर निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है और आय-कर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 § में उपबन्धित रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है, राज्य सरकार को पाँच सौ रूपए" शब्द ; अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे ;

§1'1' उपनियम §2 § के दूसरे परन्तुक में, "अनुमोदन प्रमाण-पत्र या आय-कर समाशोधन प्रमाण-पत्र धारण करना" शब्दों के स्थान पर "आय कर से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना" शब्द रखे जायेंगे ।

10. नियम 42 में, :-

§1' § उपनियम §1 § के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"§1' § कोई भी पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या छान पट्टा किसी व्यक्ति को तभी अनुदत्त किया जाएगा जब उसने यह कथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल किया हो कि उसने-

§1' § अद्यतन आय-कर विवरणियाँ फाइल कर दी हैं;

§1'1' § उस पर निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है : और

§1'1'1' § आय-कर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 § में

उपबन्धित रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है " ;

§1'1' § उपनियम §2 § के छण्ड §1'1' § के स्पष्टीकरण में, "धारा-5 को उपधारा §2 §" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 5 को उपधारा §1 §" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएँगे ।

11. नियम 43 का लोप किया जाएगा ।
12. नियम 45 के छण्ड §1§ में, "छण्ड §ज§ से लेकर छण्ड §ठ§" शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात" और छण्ड §त§ से लेकर छण्ड §प§" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।
13. नियम 46 के उपनियम §1§ में, "जब वह राज्य सरकार से मिला प्ररूप "क" में अनुमोदन प्रमाण-पत्र धारण करता हो या जब संबद्ध आय-कर अधिकारी से मिला प्ररूप "ग" में आय-कर समाशोधन प्रमाण-पत्र पेश कर देता है" शब्द और अक्षरों के स्थान पर "जब उसने यह कथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल किया हो कि उसने अद्यतन आय-कर विवरणियाँ फाइल कर दी हैं, उस पर निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है और आय-कर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 § में उपबन्धित रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
14. नियम 52 के उपनियम §1§ और उपनियम §2§, "जिस्को अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुमानि से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "जिस्को अवधि एक वर्ष तक का हो सकेगी, या जुमानि से, जो पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।
15. नियम 54 में, -
§1§ उपनियम §1§ में, "आवेदन के साथ एक छ जाना रसीद होनी चाहिए जो यह दर्शित करती हो कि 100/-रु० की फीस केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में" लेखा शीर्ष-128 खान और छनिज-जान विभाग- छनिज रिथायत फीस और स्वामित्व" के अधीन सरकारों छ जाने में या भारतीय स्टेट बैंक की छजाने संबंधी कार-बार करने वाली किसी शाखा में संदत्त कर दी गई है" शब्द, अंक और अभिव्यक्तियों

के स्थान पर "आवेदन के साथ नई दिल्ली में सदैव "वेतन और लेखा-अधिकारी, ज्ञान विभाग" के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर लिखे गये पांच सौ रूपए का एक बैंक ड्राफ्ट या "लेखा शीर्ष -0853- अलौह जमान और धातु कर्म उद्योग-102 छनिज रियायत फौज, भाटक और स्वामित्व" के अधीन पांच सौ रूपए का एक छजाना चालान है: शब्द, अंक और अभिव्यक्तियाँ रखी जाएंगी ;

§11§ स्पष्टीकरण में, -

§क§ "जहाँ कोई राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "जमान पट्टे के अन्तरण के लिए अथवा" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

§ख§ "ऐसे पट्टे के अनुदान" शब्दों के स्थान पर " ऐसे पट्टे के अन्तरण, अनुदान" शब्द रखे जाएंगे ।

16. नियम 58 का लोप किया जाएगा ।

17. नियम 59 के उप-नियम §1§ में, -

§1§ खण्ड §ड. § में, नियम 58 के अधीन " शब्द और अंकों के पश्चात्" / अधिनियम की धारा 17क के अधीन " शब्द, अंक और अक्षर अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

§11§ दूसरे परन्तुक में, नियम 58 के अधीन शब्द और अंकों के पश्चात् / अधिनियम की धारा 17क के अधीन " शब्द, अंक और अक्षर अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

18. नियम 62 में, -

§1§ उपनियम §1§ में, अनुमोदन प्रमाण-पत्र का धारक या " शब्दों का लोप किया जाएगा ;

§11§ उपनियम §2§ में, "अनुमोदन प्रमाण-पत्र या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

§111§ उपनियम §2§ के परन्तुक में, "अनुमोदन प्रमाण-पत्र के धारक या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

19. नियम 66 क के उपनियम §1§ के खण्ड §1§ में, "ऐसी जानों का" शब्दों के स्थान पर " ऐसे छनिजों का" शब्द रखे जाएंगे ।

20. नियम 69 में, -

§1§ मद §111§ में, " आर्सेनोपाइराइट" शब्द के स्थान पर आर्सेनोपाइराइट" शब्द रखा जाएगा, "पाइक्रोटाइट" शब्द के स्थान पर " पिरोटोटाइट" शब्द रखा जाएगा, " पैन्टालेन्डाइट" शब्द के स्थान पर " पैटलेन्डाइट" शब्द रखा जाएगा ;

§111§ मद §V§ में "पुखराज" शब्द के स्थान पर "टोपाज" शब्द रखा जाएगा ;

§1111§ मद §VII§ में, "फ्ल्यूराइट" शब्द के स्थान पर "फ्लुओराइट" शब्द रखा जाएगा ; और

§1V§ मद §XV 1§ में, "फास्फेटिक माइयूल्स" शब्दों के स्थान पर "फास्फेटिक ग्रिथिका" शब्द रखे जाएंगे ।

21. प्रथम अनुसूची में, -

§1§ प्ररूप च के भाग 1 के पैरा §24 के परन्तुक के छण्ड §ग§ में "टन" शब्द के स्थान पर "मीटरनी टन" शब्द रखा जाएगा ;

§111§ प्ररूप च के भाग 4 के पैरा §1§ में, "जो अनुमोदन प्रमाण-पत्र और आय-कर समाशोधन प्रमाण-पत्र धारण करता है, राज्य सरकार को एक सौ रूपए की फीस का संदाय करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "जितने यह कथित करते हुए समथ पत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आय-कर विवरणियाँ फाइल कर दी हैं उस पर निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है और आय-कर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ में उपबधित रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है, पांच सौ रूपए की फीस का संदाय करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ;

§1111§ प्ररूप ज की मद संख्या 6 का लोप किया जाएगा ;

§1V§ + +

§V§ प्ररूप ज में,

§क§ "नियम 28 §1§ देखिए" शब्द, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 24क देखिए" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

§ख§ पैरा §2§ की मद संख्याके §xग§ में, -

§1§ + + +

§111§ उपछण्ड §ग§ में, "वर्ष दर वर्ष शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष के लिए वर्षानुवर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

§ग॥ पैरा १२॥ की मद संख्यांक §xग॥ के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"§xघ॥ क्या छानिज का प्रयोग अपने उद्योग में किया जाना है, यदि हां तो" पूरा विवरण दोजिए" ;

§" अपने उद्योग" के लिए नियम 24ख के नीचे का स्पष्टीकरण देजिए §।

§।१॥ प्ररूप ट में, -

§अ॥ भाग 7 में, -

§।१॥ पैरा 3 में, "जब तक कि राज्य सरकार पर्याप्त हेतु से अन्यथा अनुज्ञा न दे" शब्दों का लोप किया जायेगा ;

§।१।१॥ पैरा 11घ के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11ङ.-पट्टेदार, नियोजन के मामले में,

जनजातियों की ओर ऐसे व्यक्तियों को अधिमानता देगा जो छान सक्रियाओं के शुरू किये जाने के कारण विस्थापित हो गये हैं।"

§।१।१।१॥ पैरा 17१2१ में, -

§क॥ "जिसके पास अनुमोदन प्रमाण-पत्र और संबंधित

आय-कर अधिकारों से प्राप्त आय-कर

समाशोधन प्रमाण-पत्र है, राज्य सरकार को

एक सौ रूपए की फीस का संदाय करके" शब्दों

के स्थान पर "जिसने यह कथित करते हुए

समर्थ-पत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन

आय-कर विवरणियां फाइल कर दी हैं,

उक्त पत्र निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है और आय-कर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 § में उपबन्धित रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है, राज्य सरकार को पांच लौ रूपए को फीस का संदाय करके" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे ;

§ख§ दूसरे परन्तुक में, - "वह उक्त अनुमोदन प्रमाण-पत्र और उक्त आय-कर समाशोधन प्रमाण-पत्र धारित करें" शब्दों के स्थान पर "वह आय-कर से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करें" शब्द रखे जायेंगे,

§आ§ भाग 8 के पैरा 3 में, "एक अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "दो अवधियों के लिए" शब्द रखे जायेंगे तथा "नियम 28" शब्द और अंकों के स्थान पर "नियम 24क" शब्द और अंक रखे जायेंगे,

§Vii§ प्ररूप 3 में, मद संख्यांक 7 का लोप किया जाएगा,

§Viii§ प्ररूप 4 में,

§क§ मद संख्यांक 4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"4. समझी गई नामजूरों को दशा में, राज्य सरकार द्वारा आवेदन को प्राप्ति को तारीख ।",

§ख§ मद संख्यांक 4 के पश्चात निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"4क. §i§ क्या यह पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या छान पट्टे के लिए आवेदन पर किसी आदेश को बाबत पुनरीक्षण आवेदन है ?

§ii§ ऐसे आवेदन को तारीख :

§iii§ क्या यह अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन है ?

§V§ यदि नवीकरण के लिए है तो ऐसे अनुदानों को सूचित करने वाले राज्य सरकार के पत्र का संख्यांक और तारीख तथा वह तारीख जिस तक अनुज्ञप्ति/पट्टा अनुदत्त किया गया था ;

§ V § द्वितीय या पश्चात्तवर्ती नवीकरण की दशा में, पूर्ववर्ण अनुदान § अनुदानों § के पत्र का संख्यांक और तारीख तथा वह तारीख § तारीखें § जिस तक अनुदान किया गया है ।”

§ ग § मद संख्यांक 7 में, “छजाना रसीद” शब्दों के स्थान पर “छजाना रसीद या बैंक ड्राफ्ट” शब्द रखे जाएंगे ;

§ ज § मद संख्यांक 8 में “दो मास” शब्दों के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ;

§ 1* § प्ररूपण के पैरा 3 में, मद संख्यांक § V 1* § के स्थान पर निम्न-लिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ § V 1* § अंतरितो यह और घोषणा करता है कि उसने यह कथित करते हुए शपथ-पत्र फाइल किया है कि उसने अद्यतन आय-कर विवरणियां फाइल कर दी हैं, उस पर निर्धारित आय-कर का संदाय कर दिया है और आय-कर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 § में उपबन्धित रूप में स्वतः निर्धारण के आधार पर आय-कर का संदाय कर दिया है ।”

§ सुरेन्द्र मिश्रा §

संयुक्त सचिव

फा0सं0 7 § 2 § 87-एम. 6

पाद-टिप्पण :- ऐसी अधिसूचनाओं की जिनमें मूल नियमों का पहले संशोधन किया गया था, सूची संलग्न है ।

सूची

1. अधिसूचना सं० 1/34/71-एम-6, तारीख 21.5.73
2. अधिसूचना सं० एम.11-152/37/62; तारीख 22.7.63
3. अधिसूचना सं० 1/34/68-एम-11, तारीख 23.5.70
4. अधिसूचना सं० 1/26/71-एम-6, तारीख 14.2.72
5. अधिसूचना सं० 1/2/68-एम-11, तारीख 23.2.68
6. अधिसूचना सं० 1/3/68-एम-11, तारीख 30.3.68
7. अधिसूचना सं० एम.11-169/44/61, तारीख 7.9.61
8. अधिसूचना सं० 1/22/62-एम-11, तारीख 18.7.63
9. अधिसूचना सं० 1/74/75-एम-6, तारीख 2.5.79
10. अधिसूचना सं० 1/3/68-एम-6, तारीख 17.1.69
11. अधिसूचना सं० 1/33/67-एम-6, जिल्द गा, तारीख 22.7.71
12. अधिसूचना सं० एम.11-169/44/61, तारीख 6.9.63
13. अधिसूचना सं० 1/3/71-एम-6, तारीख 6.9.71
14. अधिसूचना सं० 1/51/65-एम.11, तारीख 26.2.69
15. अधिसूचना सं० एम.11-152/11/62, तारीख 6.5.63
16. अधिसूचना सं० 3/51/74-एम-6, तारीख 16.1.80
17. अधिसूचना सं० एम.11-152/58/61, तारीख 30.4.63
18. अधिसूचना सं० एम.11-152/33/60, तारीख 24.9.63
19. अधिसूचना सं० 1/26/66-एम-6, तारीख 4.3.67
20. अधिसूचना सं० 7/4/85-एम-6, तारीख 22.9.86
21. अधिसूचना सं० 7/1/86-एम-6, तारीख 10.2.87
22. अधिसूचना सं० 18/9/86-एम-6, तारीख 14.10.87
23. अधिसूचना सं० 6/3/87-एम-6, तारीख 21.12.87